अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

गोविन्दराम बनाम गोमती आदि

किस्म मुकदमा : **212 आर.टी. एक्ट**

प्रकरण संख्या 06 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
19.01.2024	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील प्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अत : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण, आगामी तारीख पेशी तक रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता संख्या 71/76 के खसरा न0 236/5 की 2.1080 हैक्ट, खसरा न0 236/7 की 5.2560 हैक्ट कुल 7.3640 हैक्ट भूमि रहन, बैय, मुन्तकिल न करे एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। उपरोक्त स्थगन मंजूरशुदा रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा। वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड सम्मन पेश करें। पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 20/02/2024 को पेश हो । Sd/- उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ)	
20/2/24	पत्रावली पेश हुई श्रीमान्‌जी पो.ओ. साहब .. ...अन्य...कार्य...में...व्यस्त... पत्रावली दि0...1/3/24... को पेश हो। Sd/-	
28/2/24	वकील वादी के निवेदन पर पत्रावली पेशी में ली गई। वकील सायल व सायल ने निवेदन किया की इस प्रकरण का आपस में राजीनामा हो गया है इसलिये मैं प्रार्थनापत्र नहीं चलाना चाहता [illegible] जावे। सायल [illegible] द्वारा अपना प्रार्थना पत्र [illegible] खारिज किया [illegible] पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। Sd/- उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ)	Sd/- 28/2/24 पक्षकार Sd/- Suaul/Ratkumar

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:07:06 IST
Reason: SelfAttested